"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2008—भाद्र 7, शक 1930

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 13-4/2008/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो दिनांक 28 जून, 2007 से प्रभावशील होगी, अर्थात् :-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 4 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह शिथिलीकरण इस सीमा तक होगी कि किसी भी स्थिति में सीधी भरती के लिये महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 13-4/2008/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 13-4/2008/1/3, दिनांक 28 जुलाई, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 28th July 2008

Sl. No. F 13-4/2008/1/3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for appointment of women) Rules, 1997, with effect from 28th June, 2007, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

In rule-4, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that this relaxation shall be to the extent that in no case the upper age limit of the female candidates for direct recruitment shall exceed 45 years of age".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 3-1/2007/1-3.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक सी-6-5-97-3-1, दिनांक 13-08-1997 को प्रतिसंहृत करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्न) शासकीय सेवकों के संबंध में उक्त नियमों के नियम-10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु एतद्द्वारा सशक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 1-1/2008/1-5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित जिलों की नगर पंचायतों तथा सरगुजा जिले के नगर पंचायत कुसमी में अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए नीचे दर्शाये गये स्थानों में उप-चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं. इन उप-चुनावों में मतदान दिनांक 26-08-2008 (मंगलवार) को निर्धारित है.

क्र.	जिले का नाम	नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों	पद एवं रिक्त वार्ड		
			अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	नगर पंचायत नवागढ़	अध्यक्ष		
	--,,--	नगर पंचायत गुण्डरदेही	अध्यक्ष		
2.	सरगुजा	नगर पंचायत राजपुर	अध्यक्ष		
	--,,--	नगर पंचायत कुसमी	अध्यक्ष वापस बुलाना		
		योग	04		

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि तालिका में दर्शाए गए स्थानों (जहां निर्वाचन हो रहा है) में, निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को मतदान करने हेतु 02 घंटे कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जावे.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 2-15/2008/1-सूअप्र.—राज्य शासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिये सिफारिश हेतु अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित करता है.

(1) माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष

(2) माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा - सदस्य

(3) माननीय श्री राजेश मूणत, मंत्री, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन. - सदस्य

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम-2003 की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के नियम-3 की श्रेणी 2 के अनुक्रमांक-21 में अन्य राज्यों के न्यायाधिपतिगण "रेसिप्रोकल" आधार पर राज्य अतिथि होंगे का उल्लेख है के पश्चात् एतद्द्वारा अनुक्रमांक-22 में "अन्य राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त" को अंत:स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक/4315/डी-15-240/2004/14-2.— कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15/2/89/14-3. भोपाल, दिनांक 18-10-1989 द्वारा, घोषित मंडी प्रांगण राजिम, जिला रायपुर के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर बने किसी संरचना, अहाता खुला स्थान या परिक्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उपमंडी प्रांगण घोषित करता है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम फिंगेश्वर (पटवारी हल्का नं. 05) तहसील फिंगेश्वर, जिला रायपुर में स्थित खसरा नं. 1401 का टुकड़ा रकबा 1.55 हेक्टेयर, खसरा नं. 1404 का टुकड़ा रकबा 0.30 हेक्टेयर, खसरा नं. 1406 का टुकड़ा रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा नं. 1407 का रकबा 0.22 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 1408 का रकबा 0.25 हेक्टेयर, कुल रकबा 2.82 हेक्टेयर भूमि-

सीमायें -

1. उत्तर में - खसरा नं. 1409 आबादी भूमि एवं पक्की सड़क महासमुन्द की ओर.
2. दक्षिण में - खसरा नं. 1401 का शेष भाग जो मण्डी के नाम से आरक्षित भूमि है, वर्तमान में अभिलेख में नाम दर्ज है.
3. पूर्व में - पक्की सड़क परसदा की ओर तथा खसरा नं. 1402 बन्धू का निजी खेत जो मण्डी के नाम से दिये जाने का सहमति दिया गया है.
4. पश्चिम में - खसरा नं. 1412 सुनहर पिता बन्नू का निजी खेत तथा 1415 गंगूराम का खेत.

No. 4315/D-15/240/2004/14-2— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of Section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard Rajim, District Raipur declared vide departmental notification No. D-15/2/89/14-3, Bhopal dated 18-10-1989, namely :-

PLACE

Land Bearing part of Khasara No. 1401, area 1.55 Hactare, part of Khasara No. 1404, area 0.30 Hactare, part of Khasara No. 1406, area 0.50 Hactare, Khasara No. 1407, area 0.22 Hactare and Khasara No. 1408, area 0.25 Hactare, total area 2.82 Hactare situated at village Fingeshwar (Patwari Halka No.05) in Tahsil Fingeshwar, District Raipur surrounded by :-

1. North side - Populated land Khasara No. 1409 and Road towards Mahasamund.
2. South side - Remaining part of Khasara No. 1401, which is reserved in the name of Mandi, and presently recorded.
3. East side - Road towards Parsada and personal farm of Bandhu in Khasara No. 1402, which he has agreed to handover in favour of Mandi.
4. West side - Personal farm land of Sunhar S/o Bannu in Khasara No. 1412 and farm of Ganguram in Khasara No. 1415.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2008

क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ/परि./2008— राज्य शासन छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य, की सरकार के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 (सं. 59 सन् 1888) की धारा 88 की आवश्यकतानुसार पारस्परिक करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् करार कहा गया है) एक करार किया जाना आवश्यक हो गया है.

यह करार दिनांक 31-07-2008 को प्रथम पक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे छत्तीसगढ़ सरकार कहा गया है, और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है), एवं द्वितीय पक्ष के रूप में बिहार के राज्यपाल (जिन्हें आगे बिहार सरकार कहा गया है, और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है), के मध्य सम्पन्न हुआ है. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (5) की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्ति जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप करार राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर इस प्रारूप करार के संबंध में प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावे.

प्रमुख सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त प्रारूप करार के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त उल्लेखित तिथि से पूर्व प्राप्त सुझाव एवं अभ्यावेदन पर विचार किया जावेगा.

अतएव छत्तीसगढ़ सरकार एवं बिहार सरकार, करार में उल्लेखित निबधंनों एवं शर्तों के अधीन यह पारस्परिक करार करते हैं.

यह पारस्परिक समझौता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एतद्र्थ निर्गत अंतिम अधिसूचना की तिथि से लागू होगा और तब तक मान्य रहेगा, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया समझौता न हो जाये.

1. **करों का निर्धारण :**

(i) पारस्परिक समझौता के तहत परमिट संबंधित राज्य में समय-समय पर लागू अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत होगा.

(ii) समझौता के तहत सभी श्रेणी के परिवहन वाहनों के लिए द्वि-कर (double point) करारोपण प्रणाली लागू होगी. यह द्वि-कर प्रणाली नवीकरण के लंबमान अवधि में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा-87 के तहत निर्गत परमिट एवं उसके प्रतिहस्ताक्षर पर भी लागू होगी, परंतु दोनों राज्यों का मोटरयान कर, दोनों राज्यों में प्रभावी मोटरयान कराधान अधिनियम के अनुसार देय होगा.

(iii) कर-अपवंचना की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिये दोनों राज्यों के बीच इस बिन्दु पर पारस्परिक सहमति हुई कि परमिट निर्गत करने वाला प्रत्येक प्राधिकार परमिट का निर्गमन तभी करेगा जब आवेदक दूसरे संबंद्ध राज्य (प्रतिहस्ताक्षर करने वाला राज्य) का कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी अन्य बैंक, जो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है, में संबंधित राज्य के खाता में ज़मा कर देता है और परमिट निर्गत करने वाला प्राधिकार इस कर का वास्तविक भुगतान की सम्पुष्टि कर लेता है. राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को फैक्स के माध्यम से लिये गये कर की विवरणी यथा बैंक ड्राफ्ट संख्या, बैंक ड्राफ्ट की राशि एवं परमिटधारी का नाम आदि हर माह भेज देंगे. प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकार जब तक कोई आपत्तिजनक सूचना प्राप्त न हो, वैधानिक रूप से परमिट का प्रतिहस्ताक्षर करेंगे.

(iv) स्टेज-कैरेज, ठेका परमिट एवं मालवाहक परमिट आदि निर्गत करने वाला मूल प्राधिकार संबंधित राज्य को कर एवं बकाये कर की वसूली में हर संभव सहयोग करेगा. यदि दूसरे राज्य में आवेदक कर-प्रमादी हो, तो उसे कोई परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा.

(v) अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट का नवीकरण, वाहन का प्रतिस्थापन या अंतर्राज्यीय परमिट के प्रत्यर्पण की स्वीकृति के पूर्व प्रत्येक संबद्ध राज्य को जांचोपरान्त यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों राज्यों को देय कर का नुकसान नहीं हो. परमिट के निरंतरता की जांच 15-11-2000 से ही की जाएगी, एवं तद्नुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से दोनों राज्यों को देय कर का भुगतान किया गया है, अथवा नहीं. परमिट लेने हेतु आवेदक को बैंक खाता संख्या का प्रमाण देना, दोनों राज्यों में प्रतिहस्ताक्षर हेतु अनिवार्य होगा.

(vi) अस्थायी/विशेष/ठेका परमिट को निर्गत करने वाला प्राधिकार उपरोक्त कंडिका (iii), (iv) एवं (v) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा.

(vii) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यत: एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजन के लिए उपयोग किये जायें पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त होगी.

2. **लोक सेवा यान मंजिली यात्री बसों (स्टेज कैरिज का संचालन) का परमिट :**

(i) मार्गों की उपलब्ध सूची में मार्ग की लंबाई के संबंध में किसी प्रकार की कोई खामी का पता चलने पर दोनों संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार आपसी पत्राचार के द्वारा इसे दूर करेंगे, और यह समझौता का संशोधन नहीं समझा जाएगा. इसी तरह की पद्धति दोनों राज्यों के बीच पड़ने वाले अंतर्राज्यीय मार्ग विशेष में अधिकतम 24 कि. मी. तक विस्तार या कटौती पर अपनायी जाएगी.

(ii) स्थायी परमिट की वैधानिक मान्यता पांच वर्षों की होती है. सरकारी राजस्व की क्षति पर नियंत्रण के उद्देश्य से दोनों पक्षों के बीच इस बिन्दु पर सहमति हुई कि स्थायी परमिट पांच वर्षों का निर्गत होगा, लेकिन परमिट के साथ-साथ प्राधिकरण पत्र (परिचालन प्रमाण-पत्र)/अनुशंसा पत्र भी निर्गत किया जाएगा, जो कर भुगतान की तिथि तक मान्य रहेगा. परिचालन प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि समाप्त होने पर बिना उसके विस्तारण के वाहन का परिचालन नहीं हो सकेगा.

(iii) किसी वाहन परिचालन के संबंध में वही अधिकतम यात्री [illegible] मालभाड़ा वसूल किया जा सकता है, जो संबंधित राज्यों की सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावेगा. एक राज्य द्वारा निर्गत टिकट दूसरे राज्यों में मान्य होगी.

(iv) परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के निलंबन अथवा रद्द करने की सूचना परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार को दी जावेगी, ताकि दूसरे राज्य द्वारा परिचालन की व्यवस्था की जा सकें.

(v) परिशिष्ट "क" में दर्शित सभी 28 मार्गों की दूरी 100 कि. मी. से अधिक होने के कारण उन पर संचालित सभी बस सेवायें द्रुतगामी बस सेवा (एक्सप्रेस सेवा) होगी.

(vi) इस समझौता में दर्शाये गये मार्गों के अतिरिक्त अन्य जनोपयोगी मार्गों की जानकारी प्राप्त होने पर उसे अगले अंतरिम समझौते में शामिल कर लिया जाएगा.

(vii) वर्ष 1979, 1988 तथा 1996 जिसमें केवल वर्ष 1979 के समझौते को ही अंतिम रूप दिया गया था, परंतु वर्ष 1988 एवं वर्ष 1996 को अंतिम रूप को नहीं दिया गया था, लेकिन स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं, उसे मान्यता प्रदान करते हुए परमिट के नवीनीकरण/प्रतिहस्ताक्षर दोनों राज्य यथावत् करते रहेंगे.

(viii) आम यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष निम्नांकित बिंदुओं पर सहमत हुए कि यदि पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य विधान/नियमों से बाधित न हो तो :-

(क) ऐसे यात्री वाहन जिनका व्हील बेस 205 इंच से कम हो, परमिट स्वीकृत नहीं किये जायेंगे, परंतु वर्ष 1979, वर्ष 1988 तथा वर्ष 1996 के समझौते के तहत स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं, ऐसे अनुज्ञा पत्र धारकों को शर्त के अनुसार पारस्परिक यातायात समझौते के पश्चात् संबंधित राज्यों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अंदर वाहन का प्रतिस्थापन कराना अनिवार्य होगा.

(ख) 08 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों को अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, परंतु वर्ष 1979, वर्ष 1988 तथा वर्ष 1996 के समझौते के तहत स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं, ऐसे अनुज्ञा पत्र धारकों को शर्त के अनुसार पारस्परिक यातायात समझौता के पश्चात् संबंधित राज्यों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अंदर वाहन का प्रतिस्थापन कराना अनिवार्य होगा.

(ix) परिशिष्ट "क" में उल्लेखित मार्गों पर जब तक राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थायी परमिट स्वीकृत नहीं किये जाते हैं तब तक दोनों राज्यों द्वारा अस्थायी परमिट स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे.

3. **विशेष परमिट :**

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के तहत पर्यटन के उद्देश्य से, शादी के अवसर, स्थल दर्शन, बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा एवं धार्मिक उद्देश्य से निर्गत होने वाले विशेष परमिट संबद्ध राज्य के प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए अधिकतम 30 दिनों के लिए पूरी अवधि में मात्र एक अप (जाने) एवं एक डाउन (वापसी) खेप के लिए दिया जाएगा.

(ii) ऐसे विशेष परमिटों के साथ यात्रियों की सूची संबद्ध राज्य के प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होगी. इस सूची के साथ पार्टी द्वारा विस्तृत यात्रा प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जो प्राधिकार से अनुमोदित होगा. यात्रियों की सूची एवं यात्रा प्रोग्राम दो प्रतियों में, देय होगा. इसका संक्षिप्त विवरण परमिट पर भी अंकित किया जाएगा. इन सूचनाओं के अभाव में परमिट अमान्य रहेगा. सभी प्रकार के कर/फीस इत्यादि के भुगतान/वसूली के संबंध में पूर्ण उल्लेख परमिट पर अंकित रहेगा.

4. **ठेका परमिट (अस्थायी) :**

अस्थायी ठेका परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (क) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार दूसरे राज्य परिवहन प्राधिकार की सहमति के बिना उपर्युक्त कंडिका -1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए अधिकतम दो सप्ताह के लिए पूरी अवधि में मात्र एक अप एक डाउन ट्रिप निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किये जा सकते हैं :-

(i) वाहन किसी व्यक्ति द्वारा भाड़ा पर लिया गया हो और यात्रा एक जाने एवं एक लौटने के लिए हो.

(ii) परमिट पर जाने एवं लौटने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी.

(iii) दोनों संबद्ध राज्यों के प्रारंभ एवं पहुंच स्थान के बीच किसी बिन्दु पर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने की अनुमति नहीं होगी.

(iv) किसी कारणवश विशेष परिस्थिति में अगर किसी वाहन के परमिट की मान्य अवधि संबद्ध राज्य में समाप्त हो जाती है, तो नियमानुसार संबद्ध राज्य तथा नया अस्थायी परमिट दे सकता है.

(v) वाहन के निबंधित बैठान क्षमता से अधिक तथा स्टैन्डिंग पोजीशन (खड़ी सवारी) में यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(vi) ऐसे अस्थायी ठेका परमिटों के साथ यात्रियों की सूची संबद्ध राज्य के प्राधिकार के द्वारा अनुमोदित होगी. इस सूची के साथ पार्टी द्वारा विस्तृत यात्रा प्रोग्राम भी दिया जाएगा. जो प्राधिकार से अनुमोदित होगा. यात्रियों की सूची एवं यात्रा प्रोग्राम दो प्रतियों में देय होगा. इसका संक्षिप्त विवरण परमिट पर भी अंकित किया जाएगा. इन सूचनाओं के अभाव में परमिट अमान्य रहेगा. सभी प्रकार के कर/फीस इत्यादि के भुगतान/वसूली के संबंध में पूर्ण उल्लेख परमिट पर अंकित रहेगा.

(vii) अस्थायी ठेका परमिट निर्गमन हेतु दूसरे राज्य के लिए भुगतान किया गया मोटर वाहन कर तथा अतिरिक्त मोटर वाहन कर किसी दूसरे राज्य/अन्य परमिट पर हस्तांतरित या समायोजित नहीं होगा.

5. **माल वाहन परमिट (स्थायी) :**

दोनों राज्यों के बीच माल की ढुलाई को सुगम बनाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को नियमित तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति हुई :-

(i) उपर्युक्त कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए बिहार एवं छत्तीसगढ़ में से प्रत्येक राज्य द्वारा पांच हजार (5000) की अधिकतम संख्या तक मालवाहन परमिट का निर्गमन किया जाएगा, तथा दूसरे संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा. यह प्रतिहस्ताक्षर सभी राष्ट्रीय एवं राज्य के उच्च पथ से 50 कि. मी. की दूरी तक अलगाव (Deviation) मार्ग के लिए मान्य होगा, जो औद्योगिक केन्द्र या निर्माण केन्द्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक है.

(ii) किसी तेल कंपनी, उनके अधिकृत अभिकर्ता या ठेकेदार द्वारा स्वामित्व प्राप्त किए पेट्रोल टैंकर को परमिट का प्रतिहस्ताक्षर बिना कोई संख्या के रोक लगाए संबद्ध राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में परिचालन हेतु पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए किया जाएगा. यह प्रतिहस्ताक्षर संबद्ध राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा.

(iii) ऐसे परमिट प्राप्त मालवाहन या पेट्रोल टैंकर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के राज्य में माल का यदि उठाव किया जाता है तो उसी राज्य में उसका अनलोडिंग नहीं किया जाएगा.

(iv) केवल विशिष्ट प्रकृति के माल ढोने के लिए एक राज्य बिना किसी संख्या बंधेज के मालवाहन परमिट (स्थायी) का निर्गमन कंडिका-1 की उप कंडिका (i) से (vi) का अनुपालन करते हुए करेंगे तथा दूसरे संबद्ध राज्य का राज्य परिवहन प्राधिकार पारस्परिक राज्य की अनुशंसा पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा.

(v) मालवाहन परमिट के मामले में प्रतिहस्ताक्षर के लिए अनुशंसा आवेदक के व्यापार की विश्वसनियता की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किया जाएगा.

(vi) प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसी गाड़ियों का व्यापार इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा.

6. **माल वाहन परमिट (अस्थायी) :**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-87 के तहत दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्ग पर परिचालन हेतु उपर्युक्त कंडिका-1 की उप कंडिका-(i) से (vi) का अनुपालन करते हुए अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिए अस्थायी परमिट का निर्गमन प्रतिहस्ताक्षर के बिना संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा निम्नांकित शर्तों पर किया जा सकेगा :-

(i) पारस्परिक राज्य के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले किसी दो बिन्दुओं के बीच कोई माल उठाया/उतारा नहीं जाएगा अर्थात् ऐसी गाड़ियों का व्यवहार संबद्ध राज्य के क्षेत्रांतर्गत इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट के रूप में नहीं किया जाएगा.

(ii) यह अस्थायी परमिट दो टर्मिनल को जोड़ने वाले सीधे एवं न्यूनतम मार्ग के लिये निर्गत किया जाएगा तथा संबंधित राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा लागू किये गये शर्तों के अंतर्गत होगा.

7. **नियम :**

पारस्परिक समझौता के तहत परिचालित होने वाले वाहन दूसरे संबंधित राज्य में वहाँ के मोटर वाहन अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का पालन करेंगे.

8. **सामान्य :**

(i) समझौता के अंतर्गत परिचालित की जाने वाली परिवहन गाड़ियाँ संबद्ध राज्यों द्वारा निर्धारित लदान क्षमता, उसके व्हील बेस या बैठान क्षमता आदि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करेगी और ऐसे वाहन संबद्ध राज्य द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंध जो समय-समय पर लागू किये जायेंगे का पालन करेगी.

(ii) इस समझौते के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी कठिनाई का समाधान दोनों राज्य आपसी सहमति से कर सकेंगे.

हस्ता./-
(एन. के. असवाल)
प्रमुख सचिव,
सह-परिवहन आयुक्त,
छत्तीसगढ़-रायपुर

हस्ता./-
(रवि परमार)
परिवहन सचिव,
सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार-पटना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट "क"

क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी (कि. मी. में)				फेरो की संख्या		परमिट संख्या	
		छत्तीसगढ़	झारखण्ड	बिहार	कुल दूरी	छत्तीसगढ़	बिहार	छत्तीसगढ़	बिहार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अंबिकापुर-बोधगया व्हाया रामानुजगंज, औरंगाबाद, डोभी.	110	69	192	371	06	06	06	06
2.	जशपुर-राजगीर व्हाया गुमला, कुरू, चतरा, गया, हिसुआ.	26	112	222	360	06	06	06	06
3.	रायगढ़-सासाराम व्हाया धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, डाल्टेनगंज, औरंगाबाद, डिहरी.	308	124	89	521	04	06	04	06
4.	पटना-अंबिकापुर व्हाया जहानाबाद, गया, शेरघाटी, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	204	166	480	06	06	06	06
5.	पटना-अंबिकापुर व्हाया बिहटा, अरबल, दाउदनगर, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	219	81	410	04	04	04	04
6.	जशपुर-सासाराम व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, लातेहार, कुरू, लोहरदगा, गुमला.	26	89	241	356	04	04	04	04
7.	भभुआ-अंबिकापुर व्हाया सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	127	157	394	04	04	04	04
8.	आरा-अंबिकापुर व्हाया विक्रमगंज, सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	244	76	430	04	04	04	04
9.	डिहरी ऑनसोन-जशपुर व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, कुरू, लोहरदगा, गुमला.	26	77	262	365	04	04	04	04
10.	डिहरी ऑनसोन-अंबिकापुर व्हाया औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, गढ़वा.	110	77	126	313	04	04	04	04
11.	पटना-जशपुर व्हाया बिहारशरीफ, बरही, हजारीबाग, रॉंची, लोहरदगा, गुमला.	26	147	331	504	06	06	06	06
12.	भागलपुर से जशपुर व्हाया देवघर, गिरीडीह, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा.	26	-	-	463	02	04	02	04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	छपरा से कोरबा व्हाया पटना, औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, अंबिकापुर, घाटधरी.	248	-	-	576	02	04	02	04
14.	पटना से कुनकुरी व्हाया कुरूडेग, सिमडेगा, गुमला, चतरा, डोभी, गया, जहानाबाद.	60	-	-	413	02	04	02	04
15.	बक्सर से जशपुर व्हाया सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा, कुडु, गुमला, घाघरा.	26.	-	-	475	02	04	02	04
16.	आरा से जशपुर व्हाया विक्रमगंज, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा, कुडु, गुमला, घाघरा.	26	-	-	465	02	04	02	04
17.	सासाराम से कोरबा व्हाया डेहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर.	375	-	-	588	02	04	02	04
18.	छपरा से जशपुर व्हाया पटना, तीलरांची, लोहरदगा, शिवन.	26	-	-	582	02	04	02	04
19.	दरभंगा से कुनकुरी व्हाया बख्तियारपुर, हजारीबाग, रांची, गुमला.	60	-	-	635	02	04	02	04
20.	मोतिहारी से जशपुर व्हाया बख्तियारपुर, रांची, हजारीबाग.	26	-	-	704	02	04	02	04
21.	बेगूसराय से कुनकुरी व्हाया रांची, बख्तियारपुर, सिमडेगा.	60	-	-	572	02	04	02	04
22.	भागलपुर से कुनकुरी व्हाया देवघर, गिरीडीह, हजारीबाग, रांची, बेड़ा, गुमला, जशपुर.	60	-	-	690	02	04	02	04
23.	सिवान से बगीचा व्हाया मीरगन, मोतीपुर, अंबिकापुर.	108	-	-	727	02	04	02	04
24.	मुजफ्फरपुर से जशपुर व्हाया पटना, बख्तियारपुर, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिसाई, गुमला.	26	-	-	612	02	04	02	04
25.	पटना से अंबिकापुर व्हाया सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, गढ़वारोड, रामानुजगंज	110	-	-	369	04	04	04	04
26.	सीवन से जशपुर व्हाया पटना, हजारीबाग रांची.	26	-	-	641	02	04	02	04
27.	जशपुर से जयरागी व्हाया सांख, माजाटोरी, पतराटोली, चैनपुर.	26	-	-	126	02	04	02	04
28.	बिहारशरीफ से अंबिकापुर व्हाया नवादा, रांची, कुरू, लातेहार, डाल्टनगंज, रामानुजगंज.	110	75	342	527	06	06	06	06

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक/8027/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	गौलीटोला प. ह.नं. 19	9.289	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक/8028/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	घोरदा प. ह.नं. 19	1.643	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 25/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	एरमसाही	0.101	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 26/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पंधी	0.223	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 27/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बुन्देला	0.421	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 28/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पत्थरखान	0.101	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 29/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	भटगांव	0.405	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 30/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	परसदा	0.202	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 31/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मंगला	0.324	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 32/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन्न अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खम्हारडीह	0.182	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 33/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावमा है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	दुरूगडीह	0.081	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 34/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पासीद	0.150	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 35/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पिंरैया	0.[illegible]3	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 36/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	डोकलाडीह	0.032	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2008

क्रमांक 37/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्ड्रीडीह	0.2[illegible]7	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 38/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	0.081	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 39/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खांने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अमेरी अकबरी	0.259	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 40/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अमेरीकापा	0.097	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 41/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अटरी	0.162	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 42/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खन्तहा	0.032	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 43/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	संबलपुरी	0.032	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 44/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	करही	0.081	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 45/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	रहंगी	0.385	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 46/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पौंसरी	0.097	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 47/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहभट्ठा	0.16	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 48/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कनेरी	0.089	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 49/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्डरवा	0.03[illegible]	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक 50/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	केवाछी	0.065	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक 51/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़नताल	0.101	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 52/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कोटिया	0.081	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 53 /अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हिर्री	0.113	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 54/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोहारडीह	0.032	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 55/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	धौराभाठा	0.130	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 56/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कौहरोदा	0.162	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 57/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़गन	0.113	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 58/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सिलयारी	0.061	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 59/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	दगौरी	0.291	छ. ग. शासन, राजस्व विभाग	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 63/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	अकलतरी	1.502	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 64/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	रामपुर	0.838	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 65/अ-82/2007-08/सा-1- सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बम्हनीकला	2.389	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 66/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जयराम नगर	4.[illegible]85	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 67/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	खुडूभांठा	10.663	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	देवगांव व्यपवर्तन डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 68/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मंजूरपहरी	0.526	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय डूबान क्षेत्र एवं उलट द्वार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 69/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिटकुली	3.243	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक 70/अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	नेवसा	0.728	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अगस्त 2008

क्रमांक 50.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमंदा, प. ह. नं. 03.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 11.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.093
436	0.138
437	0.162
445/3, 446/1	0.146
446/2	0.202
444/1	0.004
448/1	0.024
448/3	0.142
456	0.032
457	0.178
459/3	0.093
459/4	0.004
460/6	0.125
460/7	0.150
460/3	0.125
461/3	0.259
466/1	0.073
466/2	0.089
467/1-4	0.008
467/2	0.194
467/3	0.004
465	0.032
481/1	0.089
481/2	0.081
481/5	0.073

(1)	(2)
483/1	0.182
483/2	0.093
486/1	0.081
487/4	0.117
487/5	0.004
487/6	0.008
623	0.036
624/1, 625, 626	0.198
627/1	0.243
627/2	0.465
627/3	0.182
627/4	0.494
628/2	0.004
659	0.259
660, 661	0.130
662	0.008
663	0.182
664	0.158
665	0.206
667	0.182
669	0.129
670	0.045
671	0.150
672	0.190
673	0.231
679/1	0.093
679/4	0.125
686/1	0.231
686/2	0.231
687	0.125
688, 689/2	0.101
690	0.057
684	0.020
685	0.194
689/1, 691, 692, 693	0.421
694, 695	0.279
696/1	0.049
696/2	0.069
698	0.186
699/1	0.121
699/2	0.227
701/1	0.040
701/2	0.036
702/1	0.219
702/2	0.186
720	0.049
724, 725/1	0.024
725/2, 726	0.190
1046,1048/1	0.004
1047/1, 1057	0.307
1047/3	0.089
2016/1, 2016/2, 2016/3	0.271
2018, 2019	0.085
2023/1	0.069
2021, 2023/2	0.069
2053/3	0.004
2054	0.150
2055/2	0.125
2056, 2060	0.016
2061	0.057
2062	0.304
योग 86	11.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चांपा बाईपास रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आंशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पताढ़ी (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी /प.ह.नं. 7	26	0.01
			117/1	0.02
		कुल पताढ़ी की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि		**0.03**

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-1, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act. the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/ P. C. N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R. Q. U. (in Acres) (5)
Patadi- (Private Land)				
Korba	Korba	Patadi/ P. C. N. 7	26 117/1	0.01 0.02
		Patadi-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.03**

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) की अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव

नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
उरगा (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा /प.ह.नं. 7	1149/1	0.03
			कुल उरगा की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि	0.03

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-1, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village /P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urga- (Private Land)				
Korba	Korba	Urga/ P. C. N. 7	1149/1	0.03
		Urga-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.03**

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेमीपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	सेमीपाली/प.ह.नं. 7	476/4	0.01
			कुल सेमीपाली की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.01**

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-1, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Semipali- (Private Land)				
Korba	Korba	Semipali/ P. C. N. 7	476/4	0.01
		Semipali-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.01**

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
अखरापाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	अखरापाली /प.ह.नं. 6	545/2	0.03
			553/2	0.03
			553/1	0.02
			545/1	0.03
			कुल अखरापाली की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.11**

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-I, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akhrapali- (Private Land)				
Korba	Korba	Akhrapali/ P. C. N. 6	545/2	0.03
			553/2	0.03
			553/1	0.02
			545/1	0.03
		Akhrapali-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.11**

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
देवरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल /प.ह.नं. 6	783	0.03
			795/1	0.02
			819/2	0.02
			832/1	0.03
			कुल देवरमाल की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि	0.10

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-1, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/ P. C. N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres) (5)
Dewarmal- (Private Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/ P. C. N. 6	783	0.03
			795/1	0.02
			819/2	0.02
			832/1	0.03
		Dewarmal-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.10**

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्र./8794/भू-अर्जन/2008.— क्रमांक 26 दिनांक 27 जून 2008 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को अधिसूचना क्रमांक 26, भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 1979-1991 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड परियोजना के लिये जल परिवहन हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जून 2008 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुदुरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल /प.ह.नं. 6	264/1	0.02
			कुल कुदुरमाल की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि	**0.02**

FORM-D
(See Rule 6)

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 23rd August 2008

No./8794/L.A/2008.—Whereas by notification of the Competent Authority number 26, Part-1, Pages 1979-1991 dated 27 JUNE 2008, issued under Sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying the pipelines for transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba (Chhattisgarh) to Village-Patadi, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh) for Power Project by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited.

And that notification published in the official Gazette on 27 JUNE 2008 and made with publishing the notification on the notice of board of the office of the Collector, Competent Authority, Tehsildar as well as Gram Panchayat and on the place of usual public gathering of concerned village, its notice has also been served to the land owner/occupier.

And whereas the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 4 of the said Act, the Competent Authority hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, from the date of publication of this declaration, as per Sub-section (2) of Section 4 of the said Act, the right of user in the land for laying the pipeline shall vesting in the State Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudurmal- (Private Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/ P. C. N. 6	264/1	0.02
		Kudurmal-Total of Proposed Land to be Acquired		**0.02**

पी. निहलानी,
अपर कलेक्टर

न्यायालय, कलेक्टर, जिला — रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक /रीडर/कले./2008/212.— श्री छतराम साहू, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, कसडोल द्वारा छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (1) के तहत नगर पंचायत, कसडोल के उपाध्यक्ष पद से व्यस्तता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ होने से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है.

मेरे द्वारा श्री छतराम साहू, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, कसडोल के वास्तविक होने के संबंध में परिशिलन किया गया. श्री छतराम साहू, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, कसडोल का त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है.

नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) (एक) के तहत उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, कसडोल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त माना जावेगा.

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.